

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 138/14

बउनवान

छीतर पुत्र धन्नलाल जाति-बैरवा निवासी-बोरीना
तहसील-बारां, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक- 23.12.2019

1- अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 24.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बोरीना, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 0.16 है० किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 88/- रुपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। ना ही सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध विधि विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 24.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

2- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है तथा भविष्य में

उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जाँच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 311/13 निर्णय दिनांक 22.02.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2014 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 241/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 24.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

